

कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना बड़ेराजपुर
जिला-कोण्डागांव छ.ग.

क्रमांक/326/मबावि/स्था./आ0बा0स0नि0/2026-27

//ज्ञापन//

बड़ेराजपुर, दिनांक-25.08-26

संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग छ0ग0 इन्द्रवती भवन ब्लॉक 01 द्वितीय तल नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक/IT/830/2025-WCD HOD IT SECTION IT/ नवा रायपुर दिनांक 05/01/2026 के द्वारा आ0बा0 कार्यकर्ता/सहायिकाओं के रिक्त पदों में ई-भर्ती पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन नियुक्ति किये जाने के प्राप्त निर्देशानुसार एकीकृत बाल विकास परियोजना बड़ेराजपुर अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र में आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पद नियुक्ति की जानी है। उक्त पद की भर्ती हेतु इच्छुक पात्र महिलाएँ उसी ग्राम अन्तर्गत ई-भर्ती पोर्टल <https://aww.e-bharti.in/> में दिनांक 27.08/2026 से 11.09/2026 तक ऑनलाईन आवेदन कर सकती है आवेदन की समस्त प्रक्रिया ई-भर्ती पोर्टल के user manual में दर्शित है, जिसका उपयोग करके आवेदन किया जा सकता है। निर्धारित तिथि के बाद व परियोजना कार्यालय या डॉक से प्रेषित आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। जो कि रिक्त पद का विवरण निम्न प्रकार है:-

क0	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	रिक्त पद का नाम	रिमाक
1	2	3	4	5	6
01	धामनपुरी	धामनपुरी	धामनपुरी खासपारा	आं.बा. सहायिका	
02	ढोंडरा	ढोंडरा	ढोंडरा उपरपारा	आं.बा. सहायिका	
03	हात्मा	हात्मा	हात्मा भालूपानी	आं.बा. सहायिका	
04	हात्मा	हात्मा	हात्मा भालूपानी	आं.बा. कार्यकता	

आवेदन हेतु निम्नानुसार अर्हताएं हैं :-

- आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। (एक वर्ष से अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता /सहायिका /सह-सहायिका /संगठिका को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जावेगी)। आयु की गणना विज्ञापन की तिथि से की जावेगी।
- आवेदिका उसी ग्राम की स्थायी निवासी होनी चाहिए जिस ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है (शहरी क्षेत्रों में आवेदिका उसी वार्ड की निवासी होना चाहिए) आवेदन पत्र के साथ निवास के संबंध में निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज संलग्न किया जावेगा:-
- क. उस ग्राम/नगरीय क्षेत्र की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके क्रमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जावे।

अथवा

- ख. संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित अथवा पटवारी तथा नगरीय निकायों में की जाने वाली नियुक्ति में वार्ड पार्शद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड एवं ग्राम में निवासरत रहने का पता स्पष्ट उल्लेख हो।

टीप:- यदि किसी आवेदक के निवास के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस आवेदक के निवास के सत्यापन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास संबंधी प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।

3. आवेदन भरते समय आवेदिकाएँ सभी दस्तावेज संलग्न करेंगे दावा आपत्ति समयावधि में किसी भी प्रकार के नवीन दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
4. आवेदिका की न्यूनतम भौक्षणक योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिए :-

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु	12 वीं अथवा 11 बोर्ड उत्तीर्ण
आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु	8 वीं बोर्ड उत्तीर्ण

टीप:- ग्रेड प्रणाली की अंकसूची का मूल्यांकन संभव नहीं है, अतः शिक्षण प्राप्त संस्थान से ग्रेड प्रणाली की अंकसूची को समकक्ष प्रतिशत में परिवर्तित कर सत्यापित अंकसूची प्रस्तुत करें, अन्यथा आवेदन अमान्य किया जावेगा।

5. अनुभवी कार्यकर्ता /सहायिका /सह सहायिका होने पर, गरीबी रेखा परिवार अनुसूचित जाति /जनजाति परिवार की महिला होने पर तथा विधवा, परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर अतिरिक्त अंक दिये जावेंगे।
6. अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर चयन में विधवा,परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिलाओं को मूल्यांकन में अतिरिक्त अंक निर्धारित किये गये हैं। इस हेतु परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर संबंधित आवेदिका को आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।



स्पष्टीकरण:- (क) परित्यक्ता के संबंध में से कोई एक प्रमाण पत्र मान्य होगा:-

- (1) संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र/नगर पंचायत के अध्यक्ष तथा नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड के पार्श्व द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया हो तो उसे प्रस्तुत किया जावे ।

अथवा

- (2) न्यायालय द्वारा जारी तत्संबंधी आदेश ।

(ख) तलाकशुदा महिला होने के संबंध में न्यायालयीन आदेश की प्रति प्रस्तुत करनी होगी ।

(ग) यदि शासन से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता /पेंशन प्राप्त की जा रही हो तो उसका प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जा सकता है

(घ) परित्यक्ता महिला के संबंध में दो वर्ष से अधिक की अवधि को ही मान्य किया जावेगा ।

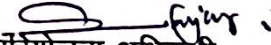
8. अनुभव हेतु परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा ।

9. अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग द्वारा संचालित कन्या आश्रम में कक्षा-8वीं तक अध्ययन रहने पर अध्ययन प्रमाण पत्र संलग्न करने पर अतिरिक्त अंक दिया जावेगा ।

10. सक्षम अधिकारी द्वारा S. E .C.C. सूचि 2011 के आधार पर जारी किये गये गरीबी रेखा प्रमाण पत्र ही मान्य किये जावेंगे ।

टीप:- गरीबी रेखा परिवार से संबंधित प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बड़ेराजपुर) के हस्ताक्षर होने पर ही अंक दिये जावेंगे ।

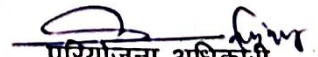
11. आवेदन के साथ संलग्न सभी दस्तावेज अभ्यर्थी द्वारा स्वप्रमाणित करना अनिवार्य है। अपूर्ण आवेदनों को मान्य नहीं किया जावेगा ।
12. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका का पद पूर्णतः मानसेवी तथा अशासकीय पद है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय प्रतिमाह दिया जावेगा ।
13. यदि चयन प्रक्रिया से जुड़े जनप्रतिनिधि के सगे-संबंधियों (छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 में परिभाषित अनुसार) एवं शासकीय सेवक के सगे संबंधियों द्वारा आवेदन किया गया हो तो वह चयन हेतु अर्ह होंगे तथा संबंधित जनप्रतिनिधियों एवं शासकीय सेवक की जिम्मेदारी होगी कि वे स्वयं को चयन से पृथक रखें एवं उन्हें पृथक रखा जावेगा ।
14. उपरोक्त नियुक्तियां छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश क्रमांक /728/1098/2008/मबावि/50 रायपुर दिनांक 02.04.2008 के अधीन हैं। तथा किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्व मान्य होगा ।
15. दावा आपत्ति दर्ज करने हेतु प्राविधिक सूची ऑनलाईन ई-भर्ती पोर्टल में अपलोड की जावेगी अभ्यर्थी प्राविधिक सूची में अपने नाम को लिखित जानकारी व प्राप्त अंक का अवलोकन करें व किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर प्रमाण सहित निर्धारित समयावधि में ऑनलाईन दावा आपत्ति प्रस्तुत करें, इस अवधि में किसी प्रकार के नवीन दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।
16. पृथक-पृथक पद हेतु पृथक-पृथक ऑनलाईन आवेदन भरा जावे ।


परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
बड़ेराजपुर जिला-कोण्डगांव (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/ 527 /मबावि/स्था./आ0बा0स0नि0/2026-27
प्रतिलिपि:-

बड़ेराजपुर, दिनांक- 25/08/26

1. जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला कोण्डगांव को सादर सूचनार्थ ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बड़ेराजपुर जिला कोण्डगांव को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
3. माननीय सभापति/सदस्य महिला एवं बाल एवं स्वास्थ्य समिति जनपद पंचायत बड़ेराजपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
4. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत रामपुर को सादर सूचनार्थ ।
5. संबंधित सेक्टर पर्यवेक्षक एकीकृत बाल विकास परियोजना बड़ेराजपुर की ओर सूचनार्थ ।

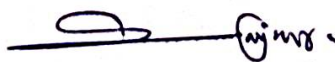

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
बड़ेराजपुर जिला-कोण्डगांव (छ.ग.)

ग्रेड प्रणाली की अंकसूची को अंक/प्रतिशत/प्राप्तांक में परिवर्तित कर सत्यापित प्रमाण पत्र

कक्षा - आठवीं का ग्रेड प्रणाली अंकसूची अंक में परिवर्तित सत्यापन प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पिता श्री
..... दां0खा0 क्र0 जन्मतिथि जाति है जो कि
कक्षा - आठवीं उत्तीर्ण वर्ष इस विद्यालय से उत्तीर्ण
की है। इनका परीक्षा परिणाम निम्नानुसार है पूर्णांक प्राप्तांक एवं
प्रतिशत रहा है। जो कि शाला अभिलेख अनुसार सत्य है।

संस्था/विद्यालय का शील एवं
हस्ताक्षर दिनांक



गरीबी रेखा प्रमाण पत्र .

प्रमाणित किया जाता है कि कु0/श्रीमती

पिता / पति श्री..... ग्राम

ग्राम पंचायत विकासखंड बड़ेराजपुर जिला-कोण्डागांव का निवासी है। इनके

परिवार के मुखिया श्री / श्रीमती पिता / पति श्री

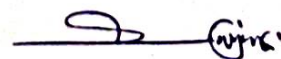
जाति का नाम बी.पी.एल. 2011 की सर्वे सूची क्रमांक में

अंकित है।

गरीबी रेखा मुखिया से अवेदिका का संबंध है ।

टीप:- 1. काट/छाट या सफेदा का उपयोग किया गया प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत बड़ेराजपुर



आं0बा0 कार्यकर्ता एवं आं0बा0 सहायिका भर्ती हेतु आवेदन के साथ अपलोड करने वाले
आवश्यक दस्तावेज

1. कक्षा 5वीं, 8वीं 10वीं की अंकसूची का छायाप्रति।
2. कक्षा आठवीं की अंकसूची ग्रेड पद्धति होने पर अंक में परिवर्तित सत्यापन प्रमाण पत्र प्ररूप-01 अनुसार अपलोड करे।
3. आं0बा0 कार्यकर्ता पद हेतु कक्षा-12 वीं का अंकसूची छायाप्रति।
4. तहसीलदार द्वारा जारी स्थाई निवास प्रमाण पत्र।

अथवा

स्थायी निवास प्रमाण नहीं होने पर सरपंच एवं सचिव का संयुक्त हस्ताक्षरित निवास प्रमाण पत्र।

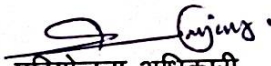
5. आधार कार्ड।

6. वोटर आईडी।

अतिरिक्त अंक हेतु दस्तावेज :-

7. अनुसूचित जाति(ST)/जनजाति (SC) के उम्मीदवारों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र ही मान्य है।
8. गरीबी रेखा प्रमाण पत्र वर्ष 2011 के सर्वे सूची अनुसार प्ररूप-02 प्रमाण पत्र अपलोड करें।
9. विधवा, परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला होने प्रमाण पत्र अपलोड करें।
10. कार्यकर्ता एवं सहायिका पद का अनुभव होने पर अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करें।
11. अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग द्वारा संचालित कन्या आश्रम में कक्षा-8वीं तक अध्ययन करने पर अध्ययन प्रमाण पत्र।

जांच के लिये
समय 17/05/2024
9691293929
JCDs - Badliyaipur


परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
बड़ेराजपुर जिला-कोण्डगांव (छ.ग.)